RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-05
May-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i05.028

भारतीय संविधान एवं समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता

अनुराग तिवारी

शोधार्थी, मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 May 2020

Keywords
भारतीय संविधान, समान नागरिक संहिता, विविधता, न्यायालय, हिन्दू कोड बिल

ABSTRACT

भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इसके विवाद के मूल कारण में धार्मिक या व्यैक्तिक विधि को खारिज कर एक एकीकृत विधि का निर्माण करना है, जो देश के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि के रूप में मान्य होगा। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालय ने भी अपना मत स्पष्ट किया है एवं न्याय प्रणाली को सभी व्यक्तियों के लिए एक समान करने हेतु समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र में स्थापित वर्तमान सत्तारूढ़ दल के चुनावी घोषणा–पत्र में भी इसे लागू करने की बात मुखरता से शामिल रही है। यानि कि, कुल मिलकर देखा जाये तो न्यायपालिका एवं वर्तमान सरकार का मत इस मुद्दे पर लगभग एक समान ही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी इसे लागू करने में बाधायें सामने आ रही है। एक तरफ जहाँ यह समान न्याय की अवधारणा को सुदृढ़ करने का एक जरिया लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कटौती का साधन भी मालूम पड़ता है। यानि कि, इस मुद्दे को यदि गौर से देखा जाये तो इसके मूल में स्टेट लॉ बनाम पर्सनल लॉ, विविधता बनाम एकता, संविधान की भावना बनाम लोगों की धार्मिक आस्थाएं, नीति निदेशक बनाम मौलिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण बनाम पुरुष वर्चस्व आदि जैसे कई मुद्दे सम्मिलित है। इसीलिए, इस मुद्दे पर एक तर्कसंगत विचार–विमर्श की आवश्यकता है कि, कैसे इस राष्ट्रीय मुद्दे के सामने विधमान चुनौतियों का सामना किया जाये और इसे लागू करने के क्या–क्या प्रावधान हो सकते है। प्रस्तुत आलेख में समान नागरिक संहिता का आशय, इसकी संवैधानिक स्थिति, इस मुद्दे से सम्बन्धित वाद–विवाद तथा साथ ही इसे लागू करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। आलेख के अंत में उन उपायों की चर्चा भी की गई है जो इसके समाधान हेतु आवश्यक है।

समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता के आशय को जानने के लिए नागरिक संहिता यानि स्टेट लॉ और अचार संहिता यानि पर्सनल लॉ के अर्थ और उनके प्रभाव को जानना जरुरी है। नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए एकसमान होती है और यह राजनैतिक व्यवस्था से सम्बद्ध होती है, जबकि अचार संहिता की प्रकृति व्यक्तिगत होती है और यह स्वहित से सम्बद्ध होती है। यानि कि, नागरिक संहिता सामूहिक हित को स्पष्ट करती है तो वहीं अचार संहिता निजी मंतव्य को। चूँकि, नागरिक संहिता सर्वजन के हित से सम्बन्धित होती है इसीलिए विविधताओं वाले हमारे देश में इसे लागू करने की मांग उठती रहती है।

संवैधानिक स्थिति

संविधान सभा में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुयी थी उनमे से एक समान नागरिक संहिता का मुद्दाभी था। इस बहस के केंद्र में जो मुख्य बात थी, वह यह थी कि इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाये या राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की श्रेणी में। चूँकि, मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है और इसकी रक्षा हेतु न्यायालय भी है, जबकि नीति–निदेशक तत्त्व पर कोई विवाद नहीं कर सकता और यह न्यायालय की परिधि से भी बाहर है। इस मुद्दे पर काफी बहस और विचार–विमर्श के बाद इसे भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद–44 के अंतर्गत रखा गया। इस भाग में इसे रखने के पीछे मूल भावना यही थी कि, भारतीय संघ देश की विविधता को सम्मान देते हुए उसे स्वाभाविक एकता की ओर अग्रसर करना चाहता है, न कि जबरन एकता की भावना को थोपकर। इस प्रकार अनुच्छेद–44 के अंतर्गत यह उल्लिखित किया गया कि "राज्य, भारत के समस्त राज्य–क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

समान नागरिक संहिता से संबंधित महत्त्वपूर्ण वाद–विवाद

एक मुकम्मल राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में जहाँ धार्मिक विविधताएं विधमान हो, पंथनिरपेक्षता एक अनिवार्य तत्त्व है, जो सभी धर्मों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक आधार पर पक्षपात नहीं कर सकता। इसी एकता की भावना के लिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक "पंथनिरपेक्ष राष्ट्र" घोषित किया गया है। इतना सब वर्णित होने पर तो

RRIJM 2015, All Rights Reserved

देख कर यही लगता है कि, भारत में धार्मिक विविधताओं के होने के बावजूद भी एकता की भावना को सुदृढ़ रखने का यत्न किया गया है। किन्तु यह सिक्के का केवलएक पहलु है और दूसरा पहलु ठीक इसके विपरीत है। धार्मिक विविधताओं वाले इस देश में प्रत्येक धर्म के लिए अपनी अलग–अलग संहिता है जिसे उस धर्म के धर्मावलंबी अपने अनुसार अपने धार्मिक क्रियाकलापों पर लागू करते है। देश में हिन्दुओं के विवाह, तलाक, संपत्ति एवं उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को हिन्दू कोड बिल (1956) के अनुसार संहिताबद्ध कर दिया गया है। जबकि मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि अनेक धार्मिक समुदायों के कानून उनकी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही चलते आ रहे है। अतः अक्सर यह विवाद उत्पन्न होता रहता है कि जब हिंदूओं के धार्मिक–व्यक्तिगत कानून को राष्ट्रीय कानून के रूप में लागू कर दिया गया है तो शेष धर्मों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया ? क्या इससे राष्ट्रीय एकता और पंथनिरपेक्षता की भावना सुदृढ़ हो पाएगी ? क्या सभी लोगों के लिए एक समान न्याय की अवधारणा लागू हो पाएगी ? इस मुद्दे से जुड़े और भी ऐसे ही कई प्रश्न है जो देश में समान नागरिक संहिता के लागू होने के औचित्य को सुदृढ़ करते है। इस तरह से यदि अवलोकन किया जाये तो समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता हेतु आवश्यक प्रतीत होती है।न्याय के मामले में भी विभिन्न धर्मों के अपने–अपने धार्मिक प्रावधानों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिस वजह से न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है क्योकि न्यायालयों को अपने फैसला देने में या कहें तो समान न्याय की अवधारणा को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः न्यायालय ने समय–समय पर विभिन्न मुकदमों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अपना निर्णय दिया है। इस मुद्दे से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है–

- समान नागरिक संहिता का विषय राष्ट्रीय स्तर पर जनचर्चा का विषय बना 1980 के दशक में, जब "शाहबानों मामला" सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। शाहबानो (इंदौर, मध्य प्रदेश) नाम की 60 वर्षीय महिला के पति मोहम्मद अहमद खान ने तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय गई और अपने एवं अपने बच्चों के लिए अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग की। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अहमद खान ने कहा कि उसने इस्लामी कानून के अनुसार तीन तलाक के शर्तों को पूरा किया है, अतः वह शाहबानों को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा–125 (पत्नी,बच्चों और अभिभावकों हेतु गुजारा भत्ता संबंधी प्रावधान) के तहत अहमद खान को शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया। 23 अप्रैल, 1985 को दिए अपने इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि "यह अत्यंत खेद की बात है कि संविधान का अनुच्छेद–44 अभी तक लागू नहीं किया गया है।" सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का उस समय कई मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों ने तीव्र विरोध किया जिस कारण से केंद्र में स्थापित तत्कालीन राजीव गाँधी की सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए "मुस्लिम महिलाएँ (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986" पारित कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत तलाक के बाद भरण–पोषण भत्ते को भारतीय दंड संहिता की धारा–125 से बाहर रखा गया तथा इन सब मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत कानून को वरीयता प्रदान की गई। हालाँकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डेनियल लतीफी और शमीमा फारुखी के मामलों में शाहबानों केस का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाएँ (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया।
- इस मामले में दूसरा ऐतिहासिक फैसला 10 मई, 1995 को "सरला मुदगल बनाम भारत संघ" के मामले में आया। इस मामले में अनुच्छेद–32 के तहत याचिकाएं दायर की गई और लोकहित वाद (PIL) के रूप में दायर इन याचिकाओं में इस्लाम धर्म स्वीकार करके एक से ज्यादा शादी करने वाले अपने पति के खिलाफ पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निणय देते हुए यह स्पष्ट किया कि, अनुच्छेद–44 किसी भी स्थिति में अनुच्छेद–25, 26 व 27 में दिए गए मूल अधिकारों का हनन नहीं करता। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह फैसला सुनाया कि "एक हिन्दू पति द्वारा अपना पहला विवाह–विच्छेद किये बिना इस्लाम स्वीकार करके दूसरा विवाह करना, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 के तहत अवैध है और पति बहु–विवाह के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा–494 के अधीन दंडनीय है।" न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि, हिन्दू पर्सनल लॉ के अनुसार, पति–पत्नी में से किसी एक के अन्य धर्म स्वीकार करने के पश्चात भी हिन्दू विवाह अस्तित्त्व में बना रहता है। इस प्रकार, यह फैसला शादीशुदा लोगों को अन्य धर्म काबुल कर दूसरी शादी करने से रोकने वाला सिद्ध हुआ। अपने इस फैसले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह, तलाक व उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों के लिए संविधान के अनुच्छेद–44 को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि, व्यक्तिगत और धार्मिक कानून न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते है, जिससे समान न्याय की अवधारणा बाधित होती है। अतः यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ है या वे कौन–कौन सी बाधायें है, जिनके

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कारण समान नागरिक संहिता का मुद्दा आज तक आधार में लटका पड़ा है ?

समान नागरिक संहिता के मार्ग में आने वाली बाधायें

न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के पक्ष में जितनी सक्रियता से निर्णय दिया जाता है उस पर अमल करना और उसका क्रियान्वयन करना उतना आसान नहीं है। इसके मूल में कई धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और विविधता की रक्षा संबंधी कारण मौजूद है, जो समान नागरिक संहिता जैसे अहम् मुद्दे पर एकमत होने में बाधक है। इनमे से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है–

- समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए **सबसे पहला और प्रमुख तर्क** यह दिया जाता है कि, यह नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर हमला है, जबकि ऐसी बातों को न्यायालय अपने अनेक फैसलों में खारिज भी कर चूका है, परन्तु धर्म के पैरोकार इसे अपने हीदृष्टिकोण से देखते है और उस पर अपने धार्मिक समूह को लामबंद करते है। उनके अनुसार अनुच्छेद–25 में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को महज तीन अपवादों में ही रोका जा सकता है– लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य। इसलिए अलग–अलग धर्मों का अपना निजी कानून होना हमारी पंथनिरपेक्षता को कमजोर नहीं अपितु पुष्ट ही करता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि, इस मुद्दे पर संवैधानिक भावना और लोगों की धार्मिक आस्था के मध्य टकराव की स्थिति सामने आ रही है, जो कि समान नागरिक संहिता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
- समान नागरिक संहिता के लागू न होने का एक और महत्त्वपूर्ण कारण है, **मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अड़ियल रवैया।** स्वतंत्रता के पश्चात जब देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत हिन्दू कोड बिल, 1956 (हिंदूओं के लिए विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियम) पारित हो गया तो अगला कदम शरीयत कानून के संहिताकरण का था। 70 के दशक में जब इस हेतु प्रयास किया गया तो अनेक मुस्लिम उलेमाओं या धर्मगुरुओं ने इसे अपने धार्मिक कानून में अनावश्यक हस्तक्षेप करार देते हुए "अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" का गठन किया। तब से लेकर आज तक इस बोर्ड का समान नागरिक संहिता के खिलाफ एकसूत्री एजेंडा, मुस्लिम समुदाय में जनमत निर्माण कर समान नागरिक संहिता का विरोध करना ही रहा है। दरअसल, मुस्लिम समुदाय का यह रवैया अपने धर्म से अतिशय लगाव तथा स्वंय पर बहुसंख्यक (हिन्दू) पहचान थोपे जाने का डर है, जिस वजह से वह बिना कुछ सुने इसका एकतरफा विरोध कर रहे है।
- समान नागरिक संहिता के मार्ग में **तीसरी बड़ी बाधा** है, इस मुद्दे का जरुरत से ज्यादा राजनीतिकरण हो जाना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ प्रत्येक वर्ष किसी–न–किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनैतिक दल उन संवेदनशील मुद्दों का सहारा लेते है जो उनके जीत को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए जो सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है, वह है "वोट–बैंक" को सुनिश्चित करना। प्रायः चुनाव लड़ने वाले लगभग सभी दल अपने वोट–बैंक के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते है। इस मुद्दे पर यदि हमारी चुनावी प्रणाली का विश्लेषण किया जाये, तो यह बात सामने आती हैं कि समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय कानून बनाने के इतर इसका इस्तेमाल वोट–बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। आजादी के 72 साल बाद भी वोट बैंक की यह राजनीति चल रही है, जो कि समान नागरिक संहिता के मार्ग में एक बाधक के तौर पर है।
- समान नागरिक संहिता के स्वरुप का स्पष्ट न होना भी इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। आज भी यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि, क्या समान नागरिक संहिता हिन्दू कोड बिल के अनुसार होगी या वह किसी नए स्वरुप में होगी ? यह एक प्रमुख अस्पष्टता है जो मुस्लिम, ईसाई एवं पारसी धर्मावलंबियों के मन में संदेह उत्पन्न करती है। इसी में दूसरा संकट यह भी है कि, समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधान किसी–न–किसी धर्म के तो समीप होंगे ही, अतः अन्य धार्मिक समूह के लोगों को इसके किसी–न–किसी प्रावधान पर आपत्ति होगी ही।

समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु उचित समाधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 सालों बाद भी हमारा देश समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं बढ़ा पाया है। इसके पीछे के कारण चाहे जो भी रहे हो, किंतु यह एक कटु सत्य है कि समान नागरिक संहिता आज भी एक दूर की कौड़ी बनी हुयी है। इसे लागू करने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण समाधानों की चर्चा आगे की गयी है, जो इस प्रकार है–

- समान नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए किसी भी तरह से इसे थोपने का प्रयास समाज पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इस संबंध मेंसरकार कोचाहिए कि व्यापक विचार–विमर्श का मार्ग अपनाये और समान नागरिक संहिता के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करे।
- एक उपाय यह भी हो सकता है कि, सरकार सीधे एकीकृत समान नागरिक संहिता को लागू न करके इसे

टुकड़ों–टुकड़ों में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करे और अंततः इस लक्ष्य को प्राप्त करे।

- एक अन्य और महत्त्वपूर्ण उपाय यह भी हो सकता है कि, सरकार इस मामले में संयमता बरते तथा लोक शिक्षाएवं महिला शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए अल्पसंख्यक वर्गों को ही इतना जागरूक बना दे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उनके बीच से ही उठने लगे।
- एक संभावना यह भी बनती है कि, सभी राजनीतिक दल इस राष्ट्रीय मुद्दे पर एकमत होकर गहन विचार–विमर्श करें तथा व्यापक स्तर पर इसके प्रचार–प्रसार के जरिये इस मामले में जनता का ज्ञानवर्धन करें। राजनीतिक दल यदि वोट–बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के बारे में विचार करे तो जनशिक्षण एवं जनसमर्थन के जरिये समान नागरिक संहिता के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सकता है। हालाँकि, यह एक आदर्शमय स्थिति अवश्य है लेकिन प्रयास करने से इसकी भी एक संभावना जरूर बनती है।

इस प्रकार, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता न्याय की सर्वोच्चता, न्यायिक समानता, पंथनिरपेक्षता, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय एकता की वृद्धि में सहायक है। वस्तुतः यह मानवीय गरिमा को सम्मानित करने का एक बेहतरीन जरिया है। दुनिया के अनेकों लोकतांत्रिक एवं गैर–लोकतांत्रिक देशों में भी समान नागरिक संहिता को लागू किया जा चूका है, जबकि हमारा देश इस मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है। समान नागरिक संहिता निःसंदेह रूप से लागू हो और यह स्वाभाविक रूप से आम–सहमति से लागू हो, न कि इसे देश पर थोपा जाये। इस विषय में मुस्लिम समुदाय के आपत्तियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए एवं स्वंय मुस्लिम समुदाय को भी इस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है कि, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु यह कितना अनिवार्य है। यह बात विदित रहे कि, समान नागरिक संहिता न सिर्फ किसी समुदाय विशेष की जरुरत है, बल्कि यह एक अखिल भारतीय आवश्यकता है जो वैश्विक पटल पर राष्ट्रीय हित को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

संदर्भ–सूचि

1. Shambhavi. *Uniform Civil Code: The Necessity and the Absurdity.* ILI Law Review, Vol. 1, 2017. http://ili.ac.in/pdf/paper217.pdf
2. Mustafa, faizan. *Are we really prepared for a Uniform Civil Code?* The Times of India, 12 September, 2019. (Accessed Date- 12 October, 2019). https://timesofindia.indiatimes.com/india/are-we-really-prepared-for-a-uniform-civil-code/articleshow/60471358.cms
3. Patra, Debasmita. *Shah Bano Case And Its Impact on Muslim Divorce Laws.* Lawyered, 15 June, 2019. (Accessed date- 17 October, 2019). https://www.lawyered.in/legal-disrupt/articles/shah-bano-case-and-its-impact-muslim-divorce-laws/
4. Hebber, Nistula. *Shah Bano Case looms over triple Talaq debate.* The Hindu, 28 December, 2018. (Accessed Date- 11 November, 2019). https://www.thehindu.com/news/national/shah-bano-case-looms-over-triple-talaq-debate/article25843694.ece
5. Wikipedia. *Sarla Mudgal & Others Vs. Union of India.* https://en.wikipedia.org/wiki/Sarla_Mudgal,_%26_others._v._Union_of_India
6. Purande, Vaibhav. *How Muslim fears were allayed and the UCC became a directive principle.* The Times of India, 8 September, 2017. (Accessed date- 20 October, 2019). https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms
7. पेडणेकर, सतीश. *कब तक समान नागरिक कानून की राह रोकी जाएगी.* उदय इंडिया, 26 दिसंबर, 2015. (अभिगमन तिथि–6 अक्तूबर, 2019). http://164.100.47.193/fileupload/current_h/101868.pdf
8. रावी, सलमान. *समान नागरिक संहिताः पहल न होने के असल कारण.* दिल्लीः बी.बी.सी. संवाददाता, 20 जून, 2016. (अभिगमन तिथि– 11 अक्तूबर, 2019). https://www.bbc.com/hindi/india/2016/06/160620_stake_holders_code_sra
9. *देश में समान नागरिक संहिता के लिए नहीं हुए प्रयासः सुप्रीम कोर्ट.* डीडी न्यूज, 14 सितम्बर, 2019. (अभिगमन तिथि–2 नवम्बर, 2019). http://ddnews.gov.in/hi/national/no-attempts-made-to-frame-uniform-civil-code-supreme-court
10. विकिपीडिया. *समान नागरिक संहिता.* (अभिगमन तिथि– 12 नवम्बर, 2019). https://hi.wikipedia.org/wiki/समान_नागरिक_संहिता

RRIJM 2015, All Rights Reserved